Helpline **1064** **94135-02834**

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **उदयपुर में गुजरात पुलिस के दो हैड कानिस्टेबल 1 लाख 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**

जयपुर, *16 अक्टूबर, रविवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर स्पेशल यूनिट, उदयपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये महेश भाई चौधरी हैड कानिस्टेबल एवं भरत भाई पटेल हैड कानिस्टेबल पुलिस थाना रखियाल, जिला गांधीनगर, गुजरात को परिवादी से **1 लाख 10 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की स्पेशल यूनिट, उदयपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि पुलिस थाना रखियाल, जिला गांधीनगर, गुजरात पर दर्ज प्रकरण में परिवादी का नाम हटाने की एवज में महेश भाई चौधरी हैड कानिस्टेबल एवं भरत भाई पटेल हैड कानिस्टेबल पुलिस थाना रखियाल, जिला गांधीनगर, गुजरात द्वारा परिवादी से **2 लाख रुपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, उदयपुर के **उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल** के सुपरवीजन में एसीबी स्पेशल यूनिट, उदयपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश ओझा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री रतनसिंह राजपुरोहित** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये महेश भाई चौधरी पुत्र श्री गुणवन्त भाई निवासी वासना चौधरी, तहसील दहेगाम, जिला गांधीनगर हाल हैड कानिस्टेबल एवं भरत भाई पटेल पुत्र श्री मणाभाई निवासी वासना चौधरी, तहसील दहेगाम, जिला गांधीनगर हैड कानिस्टेबल पुलिस थाना रखियाल, जिला गांधीनगर, गुजरात को परिवादी से **1 लाख 10 हजार रुपये रिश्वत** राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।